(8 (ग)) - 2

पत्रांक–7/स्था0–04–29/2023सा0प्र0 ....9661..../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक, गुफ़रान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक...20.06.24...

विषयः– **बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 (एक सौ चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–36571 दिनांक 07.05.2024 द्वारा बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 (एक सौ चालीस) अस्थायी पदों को स्थायी करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।

2. बिहार उच्च न्यायिक सेवा का उक्त 140 पद पूर्व में अस्थायी रूप से सृजित किया गया है, जिसके भविष्य में भी बने रहने की संभावना को देखते हुए इसे स्थायी किये जाने की अनुशंसा माननीय न्यायालय द्वारा की गयी है।

3. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत संलग्न व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख वेतनमान में ₹ 41,63,62,800/– (एकतालीस करोड़ तिरसठ लाख बासठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से बिहार उच्च न्यायिक सेवा के 140 (एक सौ चालीस) अस्थायी पदों को स्थायी करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय–बजट शीर्ष वही होगा, जो राज्य के व्यवहार न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों का होगा एवं संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

20/6/24

(गुफ़रान अहमद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\SEC-07\PAD SRIJAN\LETTER.docx

ज्ञापांक–7/स्था0–04–29/2023सा0प्र0 9601 /पटना–15, दिनांक 20.06.24

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–36571 दिनांक 07.05.2024 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 20.06.2024 के मद संख्या–14 के प्रसंग में/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।